


27.02.18

वकील वादी को प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु वादी असाफल्य या
अकार्यता स्थिति नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम
हजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है।

पत्रावली केसल सुमार होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील जमा जिला इन्जिनेरिंग
हो।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी